241वें सत्र से संबंधित समापन भाषण

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, राज्य सभा का 241 वाँ सत्र, जोकि 16 नवम्बर को प्रारंभ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है। महासचिव संबंधित सांख्यिकीय सूचना माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा देंगे। मैंने हृदय से आशा की थी कि मुझे वह सब कुछ नहीं दोहराना पड़ेगा जो मैंने दिसम्बर, 2013 में 221वें सत्र की समाप्ति पर कहा था। मेरी आशा झूठी साबित हुई।

इस सत्र में नियमित रूप से सतत व्यवधान होता रहा। संसदीय कार्यवाही के सुव्यवस्थित संचालन के लिए अनिवार्य मर्यादित विरोध की प्रतीकात्मकता को भी त्याग दिया गया। इसके कारण सदस्यगण जनहित के मामलों पर प्रश्नों और चर्चाओं के जरिए कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने के अवसर से वंचित रहे।

नारेबाजी, पोस्टरबाजी, अपने निर्धारित स्थान को छोड़ सभा की कार्यवाही में बाधा डालने के निषेध संबंधी नियमों की सभी पक्षों द्वारा लगातार अवहेलना की गई। शांति केवल तभी बनी रही जब दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि पढ़ी गई। सभा के सभी पक्षों को असहमति, व्यवधान और विरोध-प्रदर्शन करने के बीच भेद करने के लिए आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है।

सभा के सत्र के पहले दिन कार्य हुआ और 16 नवम्बर तथा 24 नवम्बर को विमुद्रीकरण पर उपयोगी चर्चा हुई जोकि अधूरी रह गई। सभा ने 14 दिसम्बर को निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2014 को भी पारित किया।

मैं उपसभापति, उप-सभाध्यक्षों के पैनल के सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी सहायता और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। इससे पहले कि हम सब विदा लें, मैं आप सभी को क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं।